न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 23/2021 तारीख रजू 28.06.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. गणपतलाल शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा जाति ब्रहामण (एबीओ व मौके पर विक्रेता)–फर्म–गणेश नमकीन भण्डार, बी–9, गणेश मन्दिर के सामने बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी महावीर नगर, रणथम्भौर सर्किल के पास, रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।
2. नारायण प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नन्दकिशोर शर्मा, जाति ब्रहामण (एबीओ व मालिक)–फर्म–गणेश नमकीन भण्डार, बी–9, गणेश मन्दिर के सामने बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी महावीर नगर, रणथम्भौर सर्किल के पास, रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– **दिनांक** 17/7/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18.02.2021 को समय लगभग 03.15 पी.एम. पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म–गणेश नमकीन भण्डार, बी–9, गणेश मन्दिर के सामने बजरिया, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर पर श्री राजीव सैन एनटीपीसी व मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुॅचा वहॉ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम गणपतलाल शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा बताया तथा स्वयं को दुकान पर विक्रेता एवं नारायण प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नन्दकिशोर शर्मा को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने अभियुक्त को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। अभियुक्त अपनी दुकान पर सभी प्रकार की नमकीन का निर्माण कर आमजन को विक्रय करता है। आवेदक ने अभियुक्त से फर्म का वर्ष 2021 का खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्फिफिकेट एवं स्वंय का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने अपनी फर्म का खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय फर्म

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:33 IST
Reason: SelfAttested

के नमकीन निर्माण व विक्रय इकाई परिसर में एक लोहे की कढाई लगभग 8 लीटर जिसे मौके पर मौजूद एफबीओ गणपतलाल शर्मा ने नमकीन निर्माण हेतु काम में लिया जाना बताया। लोहे की कढाई में रखे हुये **Used Groundnut Oil** का निरीक्षण करने पर उसको नमकीन निर्माण हेतु बार–बार प्रयोग किया जाना प्रतीत होने व उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद एफबीओ गणपतलाल शर्मा से उक्त खाद्य वस्तु **Used Groundnut Oil** में से शुद्वता की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म के नमकीन निर्माण व विक्रय इकाई परिसर में एक लोहे की कढाई में रखे हुए खाद्य वस्तु **Used Groundnut Oil** में से 2 लीटर **Used Groundnut Oil** शुद्वता की जॉच हेतु नमूना लेने बाबत एक साफ, सुखे व खाली बर्तन में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 340/– रूपये अक्षरे तीन सौ चालीस रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने स्वंय हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा को चार साफ सूखे व खाली कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर डालकर चारों शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर, चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर अलग–अलग चिपकाकर शीशीयों को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H–2005** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर प्रत्येक शीशी को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों शीशीयों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द शीशीयों को अपने कब्जे में लेकर मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बंद किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 19.02.2021 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की बाकी बची दो सील बन्द शीशी (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर दिनांक 18.02.2021 को स्वंय के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:33 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/523 दिनांक 05.03.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/283/एक्ट/2021/365 दिनांक 01.03.2021 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **Used Groundnut Oil** का नमूना Sub Standard प्रकृति का पाया गया।

विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति के खाद्य वस्तु **Used Groundnut Oil** से नमकीन का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य प्रकृति के खाद्य वस्तु **Used Groundnut Oil** से नमकीन का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर नियम के विपरीत सेंपल लेकर नियमानुसार प्रकरण पेश नहीं किया है। जांच रिपोर्ट में मूंगफली के तेल का सेम्पल लेना बताया है जबकि कोई भी खाद्य तेल गर्म होने पर डडेल हो जाता है अर्थात वास्तविक रूप से बदल जाता है रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एनालिस्ट को भेजे गये तेल के संबंध में यह लिख दिया होता कि काम में लिये गये तेल में से नमूना लिया गया है अथवा जांच रिपोर्ट मंगवाते समय एनालिस्ट के पास लिये गये तेल के सेम्पल के बारे में अर्थात तेल डडेल है, बता दिया जाता तो एनालिस्ट द्वारा अपनी रिपोर्ट में तेल को सबस्टेण्डर्ड का नहीं बताया जाता। साथ ही अभियुक्त संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अभियुक्त संख्या 2 फौत हो चुके है जिनका नाम कार्यवाही से हज़फ किया जावे। अन्त में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/283/एक्ट/2021/365 दिनांक 01.03.2021 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **Used Groundnut Oil** का नमूना Sub Standard (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है। अभियुक्त द्वारा यह कथन की " **खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर नियम के विपरीत सेंपल लेकर नियमानुसार प्रकरण पेश नहीं किया है।**

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:33 IST
Reason: SelfAttested

जांच रिपोर्ट में मूंगफली के तेल का सेम्पल लेना बताया है जबकि कोई भी खाद्य तेल गर्म होने पर डडेल हो जाता है अर्थात वास्तविक रूप से बदल जाता है रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एनालिस्ट को भेजे गये तेल के संबंध में यह लिख दिया होता कि काम में लिये गये तेल में से नमूना लिया गया है अथवा जांच रिपोर्ट मंगवाते समय एनालिस्ट के पास लिये गये तेल के सेम्पल के बारे में अर्थात तेल डडेल है, बता दिया जाता तो एनालिस्ट द्वारा अपनी रिपोर्ट में तेल को सबस्टेण्डर्ड का नहीं बताया जाता " मान्य नहीं हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में नमकीन निर्माण हेतु काम में लिया हुआ मूंगफली का तेल एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में भी काम में लिया हुआ मूंगफली का तेल अंकित है इस प्रकार अभियुक्त का कथन कि रिपोर्ट में एनालिस्ट को भेजे गये तेल के संबंध में काम में लिये गये तेल में से नमूना लिया गया है नहीं लिखा गया है मान्य नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने वाले फार्म 5ए पर डिटेल ऑफ फूड में नमकीन निर्माण हेतू काम में लिया हुआ (Used Groundnut Oil) लिखा हुआ है जिस पर अभियुक्त संख्या 1 के हस्ताक्षर है। इसके अलावा यदि अभियुक्त को जांच रिपोर्ट से किसी भी प्रकार की आपत्ति थी तो अभियुक्त को खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि के भीतर आपत्ति दर्ज करवाते हुए रैफरल लेब में भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी को निवेदन करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को Sub Standard (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य वस्तु **Used Groundnut Oil** से नमकीन का निर्माण व विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या एक पर 10,000/-रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अभियुक्त संख्या 2 के फौत हो जाने के कारण अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा अभियुक्त संख्या 1 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:07:33 IST
Reason: SelfAttested